



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष: 0135-2662971 / फ़ैक्स: 2662334

पत्रांक : 106 / सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42 / 2016

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2017

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की बैठक सूचना महानिदेशालय में 7-9 अप्रैल, 2017 को आयोजित हुई। समिति द्वारा विभाग में जनपद हरिद्वार से पूर्व में सूचीबद्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व त्रैमासिक समाचार पत्रों के सूचीबद्धता नवीनीकरण आवेदनों पर विचार किया गया। समिति द्वारा संस्तुति की गई कि जिन प्रकरणों को अभिलेखों की अपूर्णता/अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है उनके आवेदक निरस्तीकरण की सूचना जारी होने के तीन माह के भीतर सभी अभिलेखों के साथ एक बार पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन संबंधित जिला सूचना कार्यालय में कर सकते हैं। जिला सूचना अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाता है कि वे आवेदक को निरस्तीकरण की लिखित सूचना कार्यालय आदेश प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर देते हुए उसकी पावती मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही संबंधित आवेदक को दूरभाष पर भी सूचना दी जायेगी। निरस्त किये गये समाचार पत्र उनके पुनः आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक सूचीबद्ध नहीं माने जायेंगे। निरस्त किये गये समाचार पत्रों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :-

जनपद-हरिद्वार

क्र.स	पत्र का नाम, अवधि, प्रकाशन स्थल एवं पता	समिति की संस्तुति / टिप्पणी
1.	उर्दू पाक्षिक साबिर टाईम्स, इन्द्रा विहार कालोनी सुनहरा रोड़ रुड़की, हरिद्वार	निरस्त
2.	हिन्दी पाक्षिक गोल्डन टाईम्स बी-4 रामनगर, कालोनी, कनखल रोड़, ज्वालापुर हरिद्वार	अद्यतन आर एन आई नहीं है। निरस्त
3.	हिन्दी पाक्षिक निर्मल गंगा 197- निकट सौंधी नर्सिंग होम, आर्यनगर चौक, हरिद्वार	आवेदककर्ता के नाम RNI नहीं है। निरस्त
4.	हिन्दी पाक्षिक भ्रष्टाचार रिपोर्टर आकृति कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स सुपरकम्प्लेक्स, रानीपुर मोड़, हरिद्वार	आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है। निरस्त

(चन्द्रशेखर भट्ट)

महानिदेशक

पत्रांक : 106 / सू.एवंलो.स.वि. (विज्ञा.) 42 / 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड।
2. समिति के सदस्यों को।
3. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जिन समाचार पत्रों के आवेदन समिति की बैठक में निरस्त किये गये हैं, उन्हें निरस्तीकरण की सूचना कार्यालय आदेश प्राप्ति के तीन दिन के भीतर देते हुए उसकी पावती मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

महानिदेशक



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com

दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 110 / सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42 / 2016

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2017

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की बैठक सूचना महानिदेशालय में 7 से 9 अप्रैल, 2017 को आयोजित हुई। समिति द्वारा विभाग में जनपद उधमसिंह नगर से पूर्व में सूचीबद्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व त्रैमासिक समाचार पत्रों के सूचीबद्धता नवीनीकरण आवेदनों पर विचार किया गया। समिति द्वारा संस्तुति की गई कि जिन प्रकरणों को अभिलेखों की अपूर्णता/अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है उनके आवेदक निरस्तीकरण की सूचना जारी होने के तीन माह के भीतर सभी अभिलेखों के साथ एक बार पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन संबंधित जिला सूचना कार्यालय में कर सकते हैं। जिला सूचना अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाता है कि वे आवेदक को निरस्तीकरण की लिखित सूचना कार्यालय आदेश प्राप्त के तीन कार्य दिवसों के भीतर देते हुए उसकी पावती मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही संबंधित आवेदक को दूरभाष पर भी सूचना दी जायेगी। निरस्त किये गये समाचार पत्र उनके पुनः आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक सूचीबद्ध नहीं माने जायेंगे। निरस्त किये गये समाचार पत्रों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	पत्र का नाम, अवधि, प्रकाशन स्थल एवं पता	समिति की संस्तुति/टिप्पणी
1	हिन्दी मा0 प्रेरणा अंसू उधमसिंहनगर	आर.एन.आई. प्रमाण पत्र एवं प्रेस अनुबन्ध नहीं है। निरस्त।
2	हिन्दी पाक्षिक भारत नजरिया, उधमसिंहनगर	सी.ए. सर्टिफिकेट, आर.एन.आई. फाइलिंग अपूर्ण। निरस्त।
3	हिन्दी साप्ताहिक सत्य का धरातल, उधमसिंहनगर	आर.एन.आई. प्रमाण पत्र एवं प्रेस अनुबन्ध नहीं है। निरस्त
4	हिन्दी साप्ताहिक बाजपुर टाईम्स, उधमसिंहनगर	आर.एन.आई. प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र नहीं है। निर्धारित सी.ए. प्रारूप नहीं है। निरस्त
5	हिन्दी साप्ताहिक भारत नजरिया, उधमसिंहनगर	अद्यतन सी.ए. सर्टिफिकेट नहीं है। निरस्त
6	हिन्दी साप्ताहिक उत्तरांचल हिमालय, उधमसिंहनगर	अद्यतन सी.ए. सर्टिफिकेट एवं आर.एन.आई. विवरणिका नहीं है। निरस्त
7	हिन्दी साप्ताहिक शहीदों की धरती, उधमसिंहनगर	सी.ए. सर्टिफिकेट प्रमाणिक नहीं है एवं आर.एन.आई. विवरणिका नहीं है। निरस्त
8	हिन्दी साप्ताहिक केलाखेड़ा दर्शन वार्ड न. 5 नगल पंचायत केलाखेड़ा, उधमसिंहनगर	परिशिष्ट-3 एवं सी.ए. सर्टिफिकेट नहीं है। निरस्त
9	साप्ताहिक उधमसिंहनगर का दर्पण श्याम टाकेज रोड रुद्रपुर उधमसिंहनगर	सांध्य दैनिक पूर्व में नवीनीकृत। निरस्त
10	साप्ताहिक वैष्णो कन्हाई न्यूज हाथीखान, सितारगंज उधमसिंहनगर	अद्यतन आर.एन.आई. प्रमाण पत्र नहीं है। निरस्त।
11	हिन्दी साप्ताहिक मनीषी मंथन टाईम्स उधमसिंहनगर	अद्यतन आर.एन.आई./सी.ए. विवरणिका नहीं है। निरस्त
12	हिन्दी साप्ताहिक सत्य की चिंगारी, उधमसिंहनगर	अद्यतन घोषणा पत्र आर.एन.आई. पंजीयन नहीं है। निरस्त
13	हिन्दी साप्ताहिक कहन सुनन उधमसिंहनगर	प्रेस मुद्रण का घोषणा पत्र नहीं है। निरस्त
14	उर्दु साप्ताहिक कहन सुनन काशीपुर उधमसिंहनगर 588 पुराना आवास विकास काशीपुर	प्रेस मुद्रण का घोषणा पत्र नहीं है। निरस्त
15	हिन्दी साप्ताहिक महानाद, डी0एन0ए0 मार्केट मौहम्मद रहमरवानी काशीपुर, उधमसिंहनगर 9837017874	आवेदन पत्र में अन्य समाचार पत्रों का तथ्य नहीं दिया गया है। निरस्त
16	हिन्दी साप्ताहिक शाहबाज टाईम्स, उधमसिंहनगर	प्रेस अनुबन्ध एवं सी.ए. सर्टिफिकेट नहीं है। निरस्त
17	हिन्दी साप्ताहिक सत्ता दर्पण, रुद्रपुर उधमसिंहनगर	आर.एन.आई. वार्षिक विवरणिका नहीं है। निरस्त
18	हिन्दी साप्ताहिक कुमाउ एक्सप्रेस, पता रानी पदमा देवी कालोनी, उधमसिंहनगर	सी.ए. सर्टिफिकेट एवं आर.एन.आई. विवरणिका नहीं है। निरस्त
19	हिन्दी साप्ताहिक तराई तहलका, रुद्रपुर उधमसिंहनगर	अद्यतन आर.एन.आई. विवरणिका नहीं है। निरस्त

44

